

## आदेश


दिनांक-28.06.2016 से 15.08.2016 तक आहूत केन्द्रीय चयन पर्यद की पूरक बैठक में आशु स0अ0नि0 से आशु पु0अ0नि0 पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गये निम्नांकित क्रमांक-01 से 03 तक के आशु सहायक अवर निरीक्षक को आशु पुलिस अवर निरीक्षक के संवर्ग में एवं क्रमांक-04 एवं क्रमांक-05 पर अंकित टंकक स0अ0नि0 को स0अ0नि0 की कोटि में प्रत्यावर्तनोपरान्त पुलिस अवर निरीक्षक के संवर्ग में उनके नाम के सामने स्तम्भ-06 में अंकित तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए स्तम्भ-07 में अंकित जिला/इकाई में पदस्थापित किया जात है:-

क्र0	आशु0/टंकक स0अ0नि0 का नाम/आरक्षण कोटि	गृह जिला	पदस्थापन जिला /इकाई	सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन की तिथि	प्रोन्नति की तिथि	प्रोन्नति उपरांत पदस्थापन
1	2	3	4	5	6	7
1	आशु0 स0अ0नि0 ग्यासुदीन अंसारी/ पिछड़ा वर्ग	सिवान	अपराध अनुसंधान विभाग		12.08.16	अपराध अनुसंधान विभाग
2	आशु0 स0अ0नि0 सतीश चन्द्र यादव/पिछड़ा वर्ग	भागलपुर	रेल जमालपुर		12.08.16	रेल जमालपुर
3	आशु0 स0अ0नि0 शशि भूषण सिंह/अपि0	भागलपुर	नवगछिया		12.08.16	नवगछिया
4	आशु0 स0अ0नि0 परमानन्द यादव/पिछड़ा वर्ग	भोजपुर	गया	19.08.11	12.08.16	गया
5	टंकक स0अ0नि0 नीलिमा सहाय/सामान्य	भोजपुर	विशेष शाखा	28.03.03	12.08.16	विशेष शाखा

- संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक इन आशु/टंकक सहायक अवर निरीक्षकों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों की जाँच अपने स्तर से पुनः कर लेंगे एवं कोई प्रतिकूल सेवाभिलेखादि प्रकाश में आता है, तो प्रोन्नति रोक कर पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- यदि कोई नव प्रोन्नत आशु0/टंकक पुलिस अवर निरीक्षक पी0टी0सी0/हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा अनुत्तीर्ण हो या किसी की सेवा वृहद सजा के प्रभाव में हो या किसी नव प्रोन्नत पुलिस अवर निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही इसी बीच प्रारंभ हुई हो या फौजदारी मुकदमा दायर हुआ तो पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक प्रोन्नति का जिलादेश/क्षेत्रादेश रोक कर पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- ऐसे आशु सहायक अवर निरीक्षक जो सम्पुष्टि की अर्हताएँ पूरी करते हैं फिर भी उनकी सेवा सम्पुष्टि नहीं हो सकी है, जो उनकी सेवा सम्पुष्टि करते हुए प्रोन्नति का जिलादेश/ क्षेत्रादेश निर्गत होगा।
- यदि कालान्तर में वरीय आशु0/टंकक सहायक अवर निरीक्षक का मामला प्रकाश में आता है तो आवश्यक होने पर (रिक्ति के अभाव में) कनीयतम को बिना किसी सूचना के प्रत्यावर्तित कर वरीय को प्रोन्नत दे दी जायेगी।
- यदि किसी जिला/इकाई में आशु0अ0नि0/अ0नि0 की रिक्ति का अभाव हो तो प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अपने प्रक्षेत्रान्तर्गत अन्य जिलों में पदस्थापित करेंगे।
- प्रोन्नति से फलित आर्थिक लाभ नये पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

7. यह औपबंधित प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0(सी0) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

  
22.9.16  
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2740 / पी0-2


16-01-01-2016

पुलिस मुख्यालय का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 22/9/16

प्रतिलिपि :-

1. वरीय पुलिस अधीक्षक, गया/पुलिस अधीक्षक(बी0), विशेष शाखा/पुलिस अधीक्षक(सी0), बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, रेल जमालपुर/नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/अपराध अनुसंधान विभाग/मगध क्षेत्र गया/पूर्वी क्षेत्र भागलपुर/उ0म0नि0 रेलवे, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/रेलवे/भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का कृपया सूचनार्थ।
5. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ। कृपया इस आदेश को पुलिस मुख्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
22.9.16  
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना।